| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | त्रिवेणी देवी को वाद में पक्षकार बनाया दिया जावे तो वादी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थिया (त्रिवेणी देवी) दिनांक 27-8-2019 स्वीकार किया जाता है। त्रिवेणी देवी को प्रतिवादी बनाये जाने की आज्ञा दी जाती है। प्रार्थी का पक्षकार होना आवश्यक है ताकि वह स्वयं वाद में शामिल रहे। पत्रावली वा० जवाब हेतु दिनांक 19.11.2019 को पेश हो। |